

कार्यपूति – दिग्दर्शिका
आय–व्ययक

2015-2016



मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन विद्यमान हैं जिनके विवेकपूर्ण उपयोग से प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दीर्घकालीन मत्स्य नीति के रूप में उत्तर प्रदेश फिशरीज विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हुये उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन का संकल्प किया है। प्रदेश में मत्स्य सेक्टर के विकास से व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे साथ ही मत्स्य उत्पाद के रूप में प्रोटीनयुक्त सुपाच्य आहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुये इस सेक्टर के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिनमें केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य पोषित योजनायें सम्मिलित हैं। इन विकासपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से एक ओर जहाँ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी वहीं आजीविका हेतु मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर गरीब मछुआ परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता के अनुरूप मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये संचालित विभिन्न प्लैगशिप योजनाओं को संचालित कर रहा है जिनमें मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जलप्लावित क्षेत्र में मत्स्य विकास एवं मत्स्य विविधीकरण के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मोबाईल फिश पार्लर एवं झींगा पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड के अंतर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के माध्यम से कौशल विकास, निजी क्षेत्र में फिश फीड मिलों की स्थापना, रंगीन सजावटी मछलियों का उत्पादन एवं विक्रय तथा मत्स्य विपणन का सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवास विहीन मछुआ परिवारों को राज्य सरकार लोहिया आवास की दरों की भाँति आवास की सुविधा उपलब्ध करा रही है और मत्स्य पालकों को निःशुल्क दुघटना बीमा योजना से आच्छादित कर आकस्मिकता की स्थिति में उनके हितों का प्रयास सुनिश्चित किया गया है।

योजनाओं के संचालन से संबंधित मत्स्य विभाग की प्रथम कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका आय-व्ययक वर्ष 1974-1975 में प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात उसे निरन्तर प्रस्तुत करते हुये वर्तमान कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका द्वारा वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये आशा की जाती है कि प्रदिष्ट धनराशि पर अपेक्षित नियंत्रण रखने तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की दिशा में प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका आय-व्ययक (परफारमेंस बजट) उपयोगी सिद्ध होगा।

रजनीश गुप्ता

प्रमुख सचिव, मत्स्य

उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय सूची

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रथम भाग		
1.	भूमिका	
2.	विभाग के मूल उद्देश्य एवं कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति	1-8
द्वितीय भाग		
3.	वित्तीय आवश्यकताओं की तालिका	09
	(क) कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण तालिका - "क"	10
	(ख) उद्देश्य वार वर्गीकरण तालिका- "ख"	11-12
	(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत तालिका - "ग"	13
4.	योजनावार व्यय तथा आय-व्ययक अनुमान का विवरण तालिका - "अ"	14
तृतीय भाग		
5.	वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण	15-16
	(क) आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाएं	
	(ख) आयोजनागत योजनाएं	17-20
6.	योजनावार गत तीन वर्षों का परिव्यय एवं व्यय का विवरण (तालिका ब)	21
7.	मत्स्य विभाग का वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 का वैयक्तिक सारांश-परिशिष्ट- "1"	22
8.	मत्स्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा- परिशिष्ट -'2' '3'	23-24

भूमिका :

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/ जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है, तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ0प्र0 मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। मत्स्य विकास कार्यों को छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना के बाद विशेष गतिमयता प्राप्त हुयी। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा 09 बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा सतत् रूप से प्रदान की जा रही है। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु निजी क्षेत्र में हैचरियों की स्थापना, मछुआ समुदाय के कल्याण हेतु सहकारी समितियों का गठन, सक्रिय मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा से आच्छादन, आश्रय विहीन मछुआ परिवारों के लिए मछुआ आवासों की सुविधा तथा मत्स्य पालकों के तालाबों की मिट्टी एवं पानी की निःशुल्क जाँच आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है

2- विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति:-

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्व:रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

(2)

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :-

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र(लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलों	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	5.34	3.66	68.53

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा प्रगति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

2.1- ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा:-

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में निहित तालाब, पोखरों को 10 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कराकर इन तालाबों के सुधार (गहरा करने, बन्धों के निर्माण तथा जल आवागमन द्वार के निर्माण) तथा प्रथम वर्ष में उत्पादन निवेशों यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार, उर्वरक इत्यादि के लिए क्रमशः रू0 75000/- तथा रू0 50000/- प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन स्वरूप सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण व प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों के लिए क्रमशः रू0 3.00 लाख एवं रू0 0.50 लाख/हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण तथा प्रोत्साहन स्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत एवं अन्य लाभार्थियों को 20 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, यह सुविधा अधिकतम 5.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज की आपूर्ति, तालाबों के जलमृदा नमूनों की निःशुल्क जाँच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल तक मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में निहित 1.20 लाख हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप तालाबों की औसत मत्स्य उत्पादकता, जो अभिकरणों की स्थापना के पूर्व 600 कि०ग्रा० / हेक्टेयर / वर्ष थी, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष 2013-14 तक 3600 कि०ग्रा० / हेक्टेयर / वर्ष के स्तर तक बढ़ाया जा चुका है, जिसे वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर 4200 कि०ग्रा० / हेक्टेयर / वर्ष के स्तर तक पहुंचाने की सम्भावना है। वर्ष 2015-16 में मत्स्य उत्पादकता 4500 कि०ग्रा० / हेक्टेयर / वर्ष करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(3)

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन कार्यक्रम से जुड़े मत्स्य पालकों विशेषतया मछुवारों की आय में अतिरिक्त वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2011-12 से मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में जन सामान्य को पैकिंग सहित स्वच्छ मछली तथा मछली से तैयार विविध व्यंजनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मोबाईल फिश पार्लर (संचल मत्स्य एवं मत्स्य व्यंजन बिक्री केन्द्र) की स्थापना करायी जा रही है। इस योजना की इकाई लागत रू0 5.50 लाख के सापेक्ष चयनित लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप 30 प्रतिशत अर्थात् रू0 1.65 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से शासकीय अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार जन सामान्य में महाझींगा की बढ़ती माँग की पूर्ति के दृष्टिगत झींगा पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन स्वरूप झींगा के बीज तथा पूरक आहार की लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि हेतु अनुपयुक्त जलप्लावित भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित करने हेतु निर्धारित इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष सामान्य वर्ग को 80 प्रतिशत तथा अनु0जाति/ अनु0जन जाति को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण, सतत् मत्स्य पालन, राज्यस्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण के सुदृढीकरण एवं जनजागृति के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2.2- मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण:-

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 48 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 218 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रू012.00 लाख इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् रू0 6,00,000/- अनुदान व बैंक ऋण की सुविधा अनुमन्य है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। विगत तीन वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :-

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)		अंगुलिका/मत्स्यबीज संचय संख्या(लाख में)		मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	14560.00	14136.42	440.70	627.57	15000.70	14763.99
2012-13	15309.00	15322.02	691.20	629.10	16000.20	15951.12
2013-14	15709.00	15652.87	691.00	724.76	16400.00	16377.63
2014-15	16589.00	15964.75	761.20	650.66	17350.20	16615.41

2.3— जलाशयों में मत्स्य विकास:-

मत्स्य विकास व मत्स्य आखेट की दृष्टि से विभागीय जलाशयों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा उन्हें विभिन्न अवधि हेतु नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। मत्स्य विभाग, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० एवं उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० के प्रबंधन के अन्तर्गत श्रेणी 1 एवं 2 के जलाशय तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा श्रेणी 3 व 4 के जलाशय पाँच वर्ष की अवधि के लिए निस्तारित किये जाते हैं। श्रेणी 1 व 2 के जलाशयों का ठेका उच्चतम निविदा अथवा नीलामी बोली पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ठेकेदार को टेण्डर सह नीलामी पद्धति पर दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 3 व 4 के जलाशयों की नीलामी की प्रक्रिया के प्रथम चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य नीलाम किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम बोली बोलने वाले को ठेका दिये जाने की व्यवस्था है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 358 जलाशय उ०प्र० मत्स्य विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था में 10 जलाशय तथा उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ की प्रबन्ध व्यवस्था में 09 जलाशय है।

2.4— मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम :-

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में 1032 प्राथमिक समितियां, 21 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु / स्थाई अपंगता होने की दशा में ₹० 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में ₹० 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 1,93,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है तथा वर्ष 2015-16 में कुल 2,00,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को लोहिया आवास की दर पर प्रति आवास रूपये 3.05 लाख की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2014-15 तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 में 750 मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

2.5— मत्स्य उत्पादन:-

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त श्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी० टन के स्तर तक पहुँच चुका है। इस स्तर को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के तृतीय वर्ष 2014-15 में 4.94 लाख मी० टन उत्पादन प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है तथा वर्ष 2015-16 में 6.50 लाख मी० टन के स्तर तक पहुँचाया जाना प्रस्तावित है।

3- मत्स्य पालक विकास अभिकरण (जिला योजना):-

मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजना विभाग की प्रमुख योजना है । इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को पट्टे पर आवंटित सामुदायिक तालाबों के सुधार एवं निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंक ऋण तथा स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत अनुदान सुलभ कराये जाने की व्यवस्था है। अभिकरण के माध्यम से मत्स्य पालकों को सुलभ करायी जाने वाली सुविधायें निम्नवत हैं :-

3.1- तालाब सुधार / निर्माण की सुविधा :-

तालाबों को वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए तालाबों के सुधार हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर बैंकों से ऋण प्राप्त कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जाता है । बैंकों से तालाब सुधार हेतु रू0 75,000 प्रति हेक्टेयर व प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु रू0 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराकर, उन्हें वितरित ऋण पर अनुदान सुलभ कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 4457.74 हेक्टेयर के कुल 4687 तालाबों के सुधार हेतु ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित कर 2624 तालाबों, जलक्षेत्र 2516.85 हे0 के सुधार/इनपुट हेतु रूपये 2907.51 लाख का बैंक ऋण स्वीकृत कराया गया है। वर्ष 2015-16 में कुल 5000 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाबों के सुधार/ नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंक ऋण अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 180.89 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की भौतिक प्रगति तथा वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण तालिका में अंकित है।

क्र 0 सं	मद इकाई	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी 15)	प्रस्तावित लक्ष्य
1.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैंकों को प्रेषित प्रस्ताव अ- संख्या ब- क्षेत्रफल (हे0)में स- धनराशि (लाख रू)	. 5000 .	5497 5206.46 6124.63	5000 5000	5154 5134.77 6144.84	5000 5000	4687 4457.74 5265.49	5000
2.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैंकों से स्वीकृत प्रस्ताव अ- संख्या ब- क्षेत्रफल (हे0)में धनराशि (लाख रू0 में)		3919 3830.40 4048.97	5000 5000	3679 3730.90 4025.92	5000 5000	2624 2516.85 2907.51	5000
3.	सुधारे गये तालाबों में मत्स्य बीज का वितरण (लाख में)	15309	15322.02	15709	15652.87	16589	15317.14	18089.00
4.	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण संख्या (सभी योजनाओं में)	5000	-	5000				4000

4- मत्स्य बीज उत्पादन :-

मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज पर निर्भर है। मत्स्य बीज उत्पादन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा 9 बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया है तथा मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत 48 विभागीय प्रक्षेत्र/हैचरियाँ स्थापित है। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैंक ऋण/पूंजी निवेश से कुल 218 मिनी हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में सभी स्रोतों से कुल 16377.63 लाख मत्स्य बीज तथा वर्ष 2014-15 में, वार्षिक लक्ष्य 17350.20 लाख के सापेक्ष 15939.52 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन माह जनवरी 2015 तक सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 18850.20 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

5- मत्स्य बीज वितरण एवं संचय :-

मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज वितरण की व्यवस्था जिला स्तरीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2013-14 में 15652.87 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया तथा वर्ष 2014-15 माह जनवरी 2015 तक वार्षिक लक्ष्य 16589.00 लाख के सापेक्ष 15317.14 लाख मत्स्य बीज का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 18089.00 लाख मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 724.76 लाख तथा वर्ष 2014-15 में माह जनवरी, 2015 तक 622.38 लाख मत्स्य बीज का संचय कराया गया है। वर्ष 2015-16 में 761.20 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य है।

6- मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन :-

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक, एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। वर्तमान में 1032 प्राइमरी समितियाँ, 21 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत है।

6.1- मछुआ दुर्घटना बीमा योजना :-

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है । वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में रू0 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रू0 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 20.27 (रू0 10.135 भारत सरकार व रू0 10.135 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्ष 2014-15 में कुल 193,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 106 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 47.67 लाख एवं 5 अपंग सदस्यों को रू0 0.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में आच्छादित 06 परिवारों को रू0 एक-एक लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

6.2- मछुआ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :-

मछुआ समितियों के पदाधिकारियों की शैक्षिक योग्यता प्रायः कम होने के कारण समितियों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके निवारण हेतु उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।

7- मछुआ आवासो का निर्माण :-

भारत सरकार के राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से संचालित मछुआ आवासों के निर्माण की योजनान्तर्गत योजनारम्भ से वर्ष 2014-15 तक 23585 मछुआ परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 750 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें प्रति आवास की ईकाई लागत रू0 3.05 लाख रखी गई है, जिसमें रू0 37500.00 प्रति आवास केन्द्रांश होगा।

8- ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति :- मत्स्य विभाग में डाटा बेस योजनान्तर्गत समस्त जनपदीय कार्यालयों एवं मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं। मुख्यालय पर स्थापित समस्त कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर (18001805661) की सुविधा भी दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट <http://fisheries.up.nic.in> विकसित करायी गयी है व आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत तालाबों का डाटाबेस तैयार करने व आनलाइन फीडिंग हेतु <http://www.upfisheries.com> वेबसाईट भी विकसित करायी गयी है। सभी जनपदों एवं मण्डलों को कम्प्यूटर के माध्यम से एस0एम0एस0 भेजने की भी सुविधा है।

9- भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित विभाग में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2014-15 की स्थिति के अनुसार विभाग में 13 प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं जिसमें 06 प्रकरणों में जॉच आख्या प्राप्त हो चुकी है। शेष 07 प्रकरणों में जॉच की कार्यवाही प्रगति पर है।

10- रोजगार सृजन :-

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना एवं मत्स्य सहकारिता विपणन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 55000 रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 61440 रोजगार सृजन कराया गया है तथा वर्ष 2014-15 में भी 60,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2015 तक 51100 रोजगार सृजन कराया गया। वर्ष 2015-16 में भी 60,000 व्यक्तियों को (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

11- लेखा परीक्षा एवं उससे संबंधित लेखा आपत्तियों के संदर्भ में कृत कार्यवाही :-

वर्ष 2014-15 माह जनवरी 2015 तक की विभागीय लम्बित आडिट प्रस्तारों की संख्या 7714 हैं। इनके निस्तारण की कार्यवाही आंतरिक लेखा परीक्षा समिति व आंतरिक लेखा परीक्षा उप समिति के स्तर से की जा रही है।

द्वितीय भाग

वित्तीय आवश्यकताओं की तालिका

प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत निम्न तालिकायें संलग्न की जा रही हैं:-

1. तालिका "क" कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण ।
2. तालिका "ख" उद्देश्यवार वर्गीकरण ।
3. तालिका "ग" वित्तीय साधनों के स्रोत ।
4. तालिका "अ" पर आयोजनागत वर्ष 2013-14 का वास्तविक व्यय, वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित बजट अनुमान ।

(11)
तालिका (ख)
उद्देश्यवार वर्गीकरण (रु० लाख में)

कोड सं०	मर्दे	वास्तविक व्यय 2013-14			आय व्ययक अनुमान 2014-15			पुनरीक्षित अनुमान 2014-15			आय व्ययक अनुमान 2015-16		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	वेतन	0.77	1912.60	1913.37	9.90	2312.34	2322.24	8.91	2081.11	2090.02	10.03	2378.00	2388.03
02	मजदूरी	—	0.24	0.24	31.20	1.30	32.50	31.20	1.30	32.50	67.99	0.70	68.69
03	मंहगाई भत्ता	0.55	1598.73	1599.28	10.40	2427.96	2438.36	9.36	2185.16	2194.52	12.04	2853.60	2865.64
04	यात्रा व्यय	—	19.17	19.17	1.00	18.81	19.81	1.00	18.81	19.81	—	17.50	17.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	—	4.77	4.77	—	4.40	4.40	—	4.40	4.40	—	3.90	3.90
06	अन्य भत्ते	0.08	165.53	165.61	1.50	225.64	227.14	1.50	225.64	227.14	1.45	237.70	239.15
07	मानदेय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	कार्यालय व्यय	—	13.86	13.86	2.00	10.75	12.75	2.00	10.75	12.75	—	9.90	9.90
09	विद्युत देय	—	13.96	13.96	—	14.48	14.48	—	14.48	14.48	11.54	39.50	51.04
10	जलकर/ जल प्रभार	—	2.59	2.59	—	6.35	6.35	—	6.35	6.35	—	5.00	5.00
11	लेखनसामग्री	0.03	5.95	5.98	—	5.42	5.42	—	5.42	5.42	—	4.80	4.80
12	कार्यालय फर्नीचर / उपकरण	—	3.06	3.06	—	2.35	2.35	—	2.35	2.35	—	2.05	2.05
13	टेलीफोन पर व्यय	—	4.17	4.17	—	5.89	5.89	—	5.89	5.89	—	5.45	5.45
14	मोटर गाड़ियों का क्रय	—	39.77	39.77	—	7.00	7.00	—	7.00	7.00	—	50.00	50.00
15	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/ पेट्रोल क्रय	—	25.48	25.48	—	23.00	23.00	—	23.00	23.00	—	27.50	27.50
16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	—	2.58	2.58	—	3.00	3.00	—	3.00	3.00	—	3.00	3.00
17	किराया/ उपशुल्क/ कर	—	27.74	27.74	—	17.06	17.06	—	17.06	17.06	—	25.06	25.06
18	प्रकाशन	—	0.39	0.39	—	0.71	0.71	—	0.71	0.71	—	0.40	0.40
19	विज्ञापन/ विख्यापन	—	0.06	0.06	—	0.30	0.30	—	0.30	0.30	—	30.30	30.30

(12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	—	19.00	19.00	—	20.00	20.00	—	20.00	20.00	—	20.00	20.00
27	सब्सिडी	1131.25	—	1131.25	2249.50	—	2249.50	3542.85	—	3542.85	3391.00	—	3391.00
29	अनुरक्षण	—	12.00	12.00	—	16.00	16.00	—	16.00	16.00	—	16.00	16.00
31	सहायता अनुदान – सामान्य वेतन	—	421.72	421.72	—	327.38	327.38	—	327.38	327.38	—	500.00	500.00
35	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	औषधि तथा रसायन	—	3.50	3.50	—	3.50	3.50	—	3.50	3.50	1.69	3.50	5.19
42	अन्य व्यय	18.85	0.30	19.15	19.58	0.41	19.99	129.58	0.41	129.99	423.64	0.10	423.74
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.58	—	25.58
44	प्रशिक्षण व्यय	—	4.27	4.27	—	7.13	7.13	—	7.13	7.13	—	2.51	2.51
45	अवकाश यात्रा व्यय	—	0.53	0.53	—	1.10	1.10	—	1.10	1.10	—	0.85	0.85
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	—	4.44	4.44	—	4.50	4.50	—	4.50	4.50	—	3.00	3.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ स्टेशनरी क्रय	—	4.41	4.41	2.60	3.83	6.43	2.60	3.83	6.43	—	3.60	3.60
48	पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	चिकित्सा व्यय	—	27.06	27.06	—	43.00	43.00	—	43.00	43.00	—	43.00	43.00
50	मंहगाई वेतन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	वर्दी व्यय	—	0.40	0.40	0.01	1.02	1.03	0.01	1.02	1.03	—	0.70	0.70
	कुल योग-मतदेय	1151.53	4338.28	5489.81	2327.69	5514.63	7842.32	3729.01	5040.60	8769.61	3944.96	6287.62	10232.58
	भारित	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.50	4.50

(14)

तालिका अ

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 तक आयोजनागत व्यय तथा वर्ष 2015-16 के आय व्यय अनुमान का विवरण
(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2013-14	आय व्यय अनुमान 2014-15	पुनरीक्षित अनुमान 2014-15	आय व्यय अनुमान 2015-16 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
1.1	101.- अर्न्तदेशीय मछली पालन नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैंचिंग) केन्द्र पुरोयोजना	2.00	2.00	2.00	2.00
1.2	राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम (एन०एफ०डी०बी०)	1.72	200.00	200.00	100.00
1.3	मोबाईल फिश पार्लर	18.08	137.50	137.50	16.50
1.4	कैटफिश पालन	4.50	—	—	—
1.5	जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण	285.71	300.00	300.00	200.00
1.6	झींगा पालन	5.00	10.00	10.00	10.00
1.7	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों को सुदृढीकरण	—	—	—	43.87
2.	109- विस्तार एवं प्रशिक्षण	—	—	—	—
3.	190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता —मत्स्य पालक विकास अभिकरण – सामान्य (जिलायोजना)	414.67	800.00	800.00	1000.00
4	800.अन्य व्यय				
4.1	मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना केन्द्र पुरोयोजना	18.85	19.58	19.58	20.27
4.2	नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड की योजना (मछुआ आवास)	399.60	800.00	2093.35	2062.50
4.3	डाटा बेस इन्फार्मेशन एवं नेटवर्किंग फार दि फिशरीज सेक्टर योजना (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित)	1.40	58.61	166.58	489.82
	योग 17 / 2405	1151.53	2327.69	3729.01	3944.96
	कुल योग	1151.53	2327.69	3729.01	3944.96
5 अ	अनुदान संख्या 81 / 2405 ट्राइबल सब प्लान	—	—	—	—
5 ब	अनुदान संख्या 83 / 2405 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोजेंट प्लान	52.33	0.01	0.01	0.01

तृतीय भाग

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

(क)–आयोजनेत्तर पक्ष

1. 001.निदेशन तथा प्रशासन

03.अधिष्ठान

मत्स्य विभाग के प्रशासनिक कार्यों एवं आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं /कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रदेश के मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक मत्स्य का एक पद सृजित है तथा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु पी0सी0एस0 संवर्ग का एक संयुक्त निदेशक का पद सृजित है विभाग के तकनीकी कार्यों की देखरेख हेतु एक संयुक्त निदेशक मत्स्य का पद सृजित है जिनके द्वारा नियोजन, सहकारिता व सांख्यिकीय कार्यों की देखरेख की जाती है। इसके अतिरिक्त सहकारिता के कार्यों के लिए उप निदेशक मत्स्य (सहकारिता), सांख्यिकीय कार्यों की देख-रेख हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मत्स्य प्रक्षेत्रों के निर्माण तथा उसके रख-रखाव एवं भवनों के अनुरक्षण हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ के एक-एक पद सृजित है। लेखा तथा आडिट कार्यों हेतु वित्त एवं लेखा संवर्ग के एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा तीन सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित हैं।

वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मदों पर रू0 711.79 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2014-15 में रू0 917.69 लाख का प्रावधान हुआ है तथा वर्ष 2015-16 में रू0 1082.20 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

2. 109. विस्तार तथा प्रशिक्षण :-

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ दक्ष अधिकारी/कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधुनिकतम ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु चयनित कर प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाता है। प्रशिक्षण की यह संस्थायें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), पंतनगर (उत्तराखंड) में हैं। प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य व्ययों हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 0.01 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2015-16 में रू0 0.01 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

3-190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-

यह योजना प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन कार्य को प्रोत्साहित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का व्यय राज्य सरकार द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष से वहन किया जाता है।

वर्ष 2013-14 में रू0 440.72 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2014-15 में रू0 347.38 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में रू0 520.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

(16)

4. 800. अन्य व्यय

4.1 03. अनुसंधान-सामान्य

मत्स्य विभाग की यह योजना सबसे बड़ी है। विभाग में निहित तालाबों, झीलों, जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अनुसंधान अधिकारी (उत्प्रेरित प्रजनन) तथा एक अनुसंधान अधिकारी (रसायन) का पद है। इनके कार्यों में सहयोग हेतु ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक तथा मत्स्य विकास अधिकारी कार्यरत हैं। मुख्यालय पर एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा मण्डल स्तर पर 11 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनके द्वारा तालाबों की मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच का कार्य निशुल्क सम्पादित किया जाता है तथा मत्स्य पालकों को तकनीकी परामर्श दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के मद में वर्ष 2013-14 में रू0 3083.75 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2014-15 में रू0 4120.11 लाख का बजट स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2015-16 के लिए रू0 4559.99 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

4.2. 04. प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना

प्रदेश के जनपद अम्बेडकरनगर, मऊ, सोनभद्र, भदोही, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर महाराजगंज एवं कुशीनगर तथा कानपुर व आजमगढ़ मण्डल के कार्यालयों की स्थापना ग्रामीण अंचलों के तालाबों में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने व मत्स्य उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से की गयी है। योजनान्तर्गत स्वीकृत स्टाफ के वेतन-भत्तों आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना के अन्तर्गत रू0 90.53 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 में रू0 107.25 लाख का बजट स्वीकृत है तथा वर्ष 2015-16 के लिए रू0 116.57 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

4.3. 05-राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन:

प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसके संचालन पर वर्ष 2013-14 में रू0 7.99 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 रू0 18.69 लाख का बजट स्वीकृत है तथा वर्ष 2015-16 के लिए रू0 5.35 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

4.4. 11—प्रयोगशालाओं का सुद्विीकरण योजना:—

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में रू0 3.50 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 3.50 लाख स्वीकृत है। वर्ष 2015-16 में रू0 3.50 लाख प्रस्तावित है।

(17)

(ख)—आयोजनागत पक्ष

1— 101. अन्तर्देशीय मछली पालन

1.1 नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैंचिंग) :—

नदियों में बढ़ते जल-प्रदूषण के कारण प्राकृतिक मत्स्य संपदा के निरन्तर ह्रास के दृष्टिगत प्रदेश की प्रमुख नदियों के चयनित भागों में व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय मेजर कार्प मछलियों यथा कतला, रोहू, नैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 75:25 प्रतिशत सहयोग से वर्ष 2008-09 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में रू0 2.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है, जिससे रू0 2.00 लाख के बड़े आकार के मत्स्य बीज का प्रमुख नदियों में संचय सुनिश्चित किया जायेगा।

1.2—राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम :—

तालाबों, जलाशयों एवं झीलों को मत्स्य पालन योग्य विकसित करने हेतु राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अनुमन्य अनुदान की धनराशि का 90 प्रतिशत बोर्ड द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत बोर्ड को 10 प्रतिशत राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यांश के रूप में रू0 200.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान कराया गया था, जिससे व्यय किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की अदायगी हेतु रू0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे आवश्यकतानुसार मण्डलों में थोक एवं फुटकर मछली मण्डियों एवं मत्स्य हाटों की स्थापना कराई जाएगी तथा मूल्य वर्धित मत्स्य उत्पादों एवं सजावटी रंगीन मछलियों के उत्पादन एवं बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.3— मोबाइल फिश पार्लर योजना

राज्य सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित मोबाइल फिश पार्लर (सचल मत्स्य एवं मत्स्य व्यंजन बिक्री केन्द्र) की योजना के अन्तर्गत बाहरी क्षेत्र में मछलियों से बने विभिन्न व्यंजनों को तैयार करके उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में अनुदान की सहायता से योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 136.95 लाख की धनराशि से 83 मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु रू0 16.50 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

1.4—कैटफिश पालन:— वित्तीय वर्ष 2013—14 में रू0 4.50 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में मत्स्य बीज उपलब्ध न होने के कारण धनराशि प्रस्तावित नहीं की गई।

(18)

1.5—जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना: —

जल प्लावन के फलरूप निष्प्रयोज्य हुई अकृषक भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिये जाने की इस योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हे० के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तथा अनु०जाति/अनु०जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है। वर्ष 2014—15 में रू0 300.00 लाख आय—व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह जनवरी, 2015 तक रू0 176.38 लाख का व्यय मत्स्य पालन हेतु किया गया। वर्ष 2015—16 में इस योजना के लिए रू0 200.00 लाख का आय—व्ययक प्रस्तावित है।

1.6— झींगा पालन योजना :

राज्य सरकार के शत—प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित इस योजना के अन्तर्गत मीठे पानी में महाझींगा पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2013—14 में 10.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र में महाझींगा पालन हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया। इस धनराशि से 0.5 हेक्टेयर की कुल 20 इकाइयों के लिए वाह्य प्रदेशों से आयातित झींगा बीज तथा फॉरमुलेटेड फीड की कुल लागत रू0 10.00 लाख पर 50 प्रतिशत की दर से संबंधित मत्स्य पालकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। वर्ष 2014—15 में इस योजना हेतु रू0 10.00 लाख का आय—व्ययक करायी गया है तथा वित्तीय वर्ष 2015—16 में इस योजनान्तर्गत 20.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र के आच्छादन हेतु रू0 10.00 लाख का आय—व्ययक प्रस्तावित है।

1.7— विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण:—

वर्ष 2015—16 में प्रदेश में संचालित मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण हेतु रू0 43.87 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जिसमें मजदूरी, विद्युत, औषधि तथा रसायन, सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा अन्य व्यय आदि मदों में व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

2. 109. विस्तार एवं प्रशिक्षण:—

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 80:20 वित्त पोषण से संचालित इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार मत्स्य पालकों के

तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु 15 दिवसीय उच्चकृत प्रशिक्षण की सुविधा अनुमन्य कराई जाती है। वर्ष 2013-14 में 1000 मत्स्य पालकों को उच्चकृत तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 28.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था। भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना बन्द कर दिये जाने के कारण वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है।

(19)

3. 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

0101. मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता (जिलायोजना)—ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन कार्य को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अभिकरणों की स्थापना कराई गयी है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित पात्रता क्रम में तालाबों का आवंटन कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार एवं अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75 : 25 वित्त पोषण से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक तालाबों के सुधार तथा निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेश हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 800.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया। वर्ष 2015-16 में रू0 1000.00 लाख आय-व्ययक प्रस्तावित है।

4- 800. अन्य व्यय

4.1. मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 वित्त पोषण से संचालित इस योजनान्तर्गत मत्स्य आखेट एवं मत्स्य पालन में मछुओं का कार्य जोखिम भरा होने के कारण सहकारी समितियों के सदस्यों एवं सक्रिय मत्स्य पालकों का बीमा कराये जाने की व्यवस्था है। यह योजना वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2015-16 हेतु बीमा प्रीमियम रू0 20.27 प्रति व्यक्ति निर्धारित है, जिसके सापेक्ष्य रू0 10.135 प्रति व्यक्ति राज्य सरकार तथा रू0 10.135 प्रति व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजना में आच्छादित व्यक्तियों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में रू0 2.00 लाख तथा स्थायी आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1.00 लाख बीमित धनराशि के भुगतान किये जाने की व्यवस्था बीमा कम्पनी के माध्यम से करायी जायेगी। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 1.93 लाख व्यक्तियों के आच्छादन हेतु रू0 19.56 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए रू0 20.27 लाख का प्रावधान 2.00 लाख समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों के बीमा के लिए प्रस्तावित किया गया है।

4.2. नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड (मछुआ आवास) की योजना :-

प्रदेश में यह योजना भारत सरकार की सहायता से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मछुआ बाहुल्य ग्रामों में आवास विहीन मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को लोहिया आवास की भाँति मछुआ आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2014-15 में लोहिया आवास की तर्ज पर इकाई लागत 3.05 लाख की दर से 647 मछुआ आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में रू0 2062.50 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है जिससे 750 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रति आवास की ईकाई लागत रू0 3.05 लाख रखी गयी है, जिसमें रू0 37500.00 प्रति आवास केन्द्रांश होगा।

(20)

4.3 डाटा बेस एवं नेटवर्किंग इन्फार्मेशन फार द फिशरीज सेक्टर योजना :

यह योजना भारत सरकार के शत-प्रतिशत सहयोग से 11वीं 0 पंचवर्षीय योजना काल से चलायी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्रों से उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादकता का अनुमान लगाया जाना है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों यथा तालाबों, पोखरों, झीलों एवं जलाशयों आदि जल प्रणालियों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के वार्षिक आंकड़ों के संकलन हेतु मण्डल/ जनपद स्तर पर कर्मचारियों को नामित कर उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2015-16 के योजनान्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) द्वारा प्रदेश के चयनित जनपदों में जी0आई0एस0 मैपिंग कर आंकड़ों का संकलन किया जायेगा, जिसके आधार पर प्रदेश स्तर पर जल संसाधन, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़ों का आंकलन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के संचालन हेतु वर्ष 2014-15 में रू0 166.58 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए रू 489.82 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है, जिससे सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में रखे जाने वाले एक-एक सर्वेक्षण कर्ताओं को देय पारिश्रमिक की धनराशि भी सम्मिलित है।

5-अ- अनुदान संख्या 81

ट्राइबल सब प्लान :-

मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजनान्तर्गत अलग से धनराशि मात्राकृत की जाती है, जिससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सीधे योजना का लाभ मिल सके। योजनान्तर्गत पूर्वगत वर्षों की अवशेष धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक प्रावधान नहीं कराया गया है तथा वर्ष 2015-16 में पूर्वगत अवशेष के पूर्ण उपयोग के दृष्टिगत आय-व्ययक प्रस्तावित नहीं है।

5-ब- अनुदान संख्या 83 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट योजना :-

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भागीदारी मत्स्य पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अलग से धनराशि मात्राकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत तालाबों के सुधार/ निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेश हेतु क्रमशः रू0 0.75 लाख, रू0 3.00 लाख एवं रू0 0.50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से स्वीकृत बैंक ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में पूर्वगत वर्षों की अवशेष धनराशि के उपयोग के दृष्टिगत वर्ष 2014-15 में रू0 0.01 लाख का आय-व्ययक प्रावधान कराया गया था। वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत रू0 0.01 लाख का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है।

(21)

**तालिका (ब)
योजनावार गत तीन वर्षों का परिव्यय एवं व्यय का विवरण**

(रू0 लाख में)

क्रं सं०	योजना का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय (माह जनवरी, 2015 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	रिवर रैचिंग	0.50	—	0.50	0.50	0.50	—
1.2	नई हैचरियों की स्थापना/ मत्स्य प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण	—	—	—	—	0.00	—
1.3	एन0एफ0डी0बी0	3.80	7.03	500.00	1.72	355.625	—
1.4	मोबाइल फिश पार्लर	8.25	8.25	16.50	18.08	105.00	62.76
1.5	कैट मत्स्य पालन	5.00	2.50	5.00	4.50	0.00	—
1.6	जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन	358.99	249.70	300.00	285.71	300.00	176.38
1.7	झींगा पालन	4.00	2.00	5.00	5.00	10.00	3.25
2	विस्तार तथा प्रशिक्षण (केन्द्रीय योजना)	5.60	—	5.60	—	—	—
3	नई योजनाये	120.74	—	—	—	—	—
4अ	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सामान्य (जिला योजना)	300.00	110.05	264.00	116.75	200.00	—
5.1	मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना	18.12	18.12	18.85	18.85	43.875	19.56
5.2	नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड की योजना	375.00	33.75	500.00	199.80	600.00	358.04

5.3	डाटा बेस ज्योग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम फार द फिशरीज सेक्टर (शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित)	—	11.42	—	1.40	—	—
5.4	प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	—	—	—	—	—	—
	योग	1200.00	442.82	1615.45	652.31	1615.00	619.99

(22)

परिशिष्ट-1

मत्स्य विभाग का वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-15 का वैयक्तिक सारौंश

स्वीकृत पद

क्र०सं०	पदनाम	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
अ-	राजपत्रित			
1.	निदेशक मत्स्य	1	1	1
2.	संयुक्त निदेशक मत्स्य	1	1	1
3.	संयुक्त निदेशक पी०सी०एस०कैडर	1	1	1
4.	उप निदेशक मत्स्य सह०	1	1	1
5.	उप निदेशक मत्स्य	20	19	19
6.	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	1
7.	सहायक निदेशक मत्स्य / अनु०अधि० (उत्प्रे०प्रज०)	49	49	49
8.	अनुसंधान अधिकारी रसायन	1	1	1
9.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1	1	1
10.	सहायक निदेशक सांख्यिकीय	1	1	1
11.	मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ	1	1	1
12.	सहायक लेखाधिकारी	3	3	3
13.	वैयक्तिक सहायक	1	1	1
14.	व्याख्याता	1	1	1

15	रसायनविद	1	1	1
16	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1
17	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	—	15	15
ब—	अराजपत्रित			
18	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19	19	19
19	क्षेत्रीय अधिकारी सांख्यिकीय	1	—	—
20	अन्य —अराजपत्रित कर्मचारी	1200	1184	1184
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	809	809	809
	योग	2114	2111	2111